

केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती)

सरदार पटेल भवन, छठा तल, ब्लॉक-ए/626, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-800023
(विबसाइट www.csbc.bih.nic.in)

बिहार पुलिस / बिहार सैन्य पुलिस / विशेषीकृत इण्डिया रिजर्व वाहिनी / बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी में 'सिपाही' के रिक्त पदों पर पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों की सीधी नियुक्ति हेतु सूचना।

ऑनलाइन आवेदन-पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि 14/12/2020

विज्ञापन संख्या-05/2020

बिहार पुलिस / बिहार सैन्य पुलिस / विशेषीकृत इण्डिया रिजर्व वाहिनी / बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी में 'सिपाही' पद (वितनमान लेवल-3 [₹21,700 — 69,100]) की रिक्तियों की संख्या 8,415 (आठ हजार चार सौ पचास) है।

2. इन पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 05/2020 यहाँ जारी किया जा रहा है।
ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक 13/11/2020 से ग्राम्य होगी।

3. बिहार पुलिस की इकाईयों यथा-बिहार पुलिस / बिहार सैन्य पुलिस / विशेषीकृत इण्डिया रिजर्व वाहिनी / बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी में 'सिपाही' पद पर चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा विहित/वर्णित प्रावधान (i) पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या - पी-03/13-01-05/2016/240 दिनांक 10.09.2020 द्वारा प्राप्त अधियाचना एवं पत्र संख्या - पी-03/13-01-05/2016/288 दिनांक 22.10.2020 (ii) गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार सरकार, पटना की अधिसूचना संख्या-4/b1-102/2008-6620/गृ0आ0, दिनांक 14 अगस्त, 2019 एवं 9186/गृ0आ0,, दिनांक 05 नवम्बर, 2019 (iii) बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 (बिहार अधिनियम-3, 1992) (समय-समय पर यथा संशोधित) (iv) गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 1444, दिनांक 06.02.2004, एवं गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना के पत्र संख्या 1511, दिनांक 07.02.2004, (v) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना का संकल्प ज्ञापांक-963, दिनांक 20 जनवरी, 2016 (vi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना का संकल्प ज्ञापांक 13185, दिनांक 03 सितम्बर, 2015 (vii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना की अधिसूचना संख्या 2622, दिनांक 26 फरवरी, 2019 (बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) आरक्षण नियमावली, 2019) (viii) विधि विभाग, बिहार सरकार, पटना की अधिसूचना संख्या 1520, दिनांक 23 फरवरी, 2019 (बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक

संस्थानों में नामांकन में (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) आरक्षण अधिनियम, 2019) (ix) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार का पत्र संख्या 2342, दिनांक 15.02.2016 (महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षेत्रिज आरक्षण के संबंध में रोस्टर बिन्दु का निर्धारण) (x) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार का पत्र संख्या-11/आ0नी0-1-10/2015- सा0प्र0-2526, दिनांक 18.02.2016 (राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नातीनी के संबंध में रोस्टर बिन्दु का निर्धारण) के आलोक में केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) द्वारा उक्त रिक्तियों के लिए भर्ती की प्रक्रिया आयोजित की जायेगी ।

4. अतएव उपरोक्त प्रावधान / विहित प्रक्रिया के अंतर्गत अभ्यर्थियों को विज्ञापन में दिये गये निर्देशों एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा । अभ्यर्थीगण अपना आवेदन विहित प्रपत्र में केन्द्रीय चयन पर्षद द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में उल्लेखित शर्तों के अनुसार पर्षद के वेबसाइट (Website) www.csbc.bih.nic.in पर ऑन-लाइन समर्पित करेंगे ।

5. जिला पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस, विशेषीकृत इण्डिया रिजर्व वाहिनी एवं बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी की रिक्तियों के लिए चयन/भर्ती की प्रक्रिया एक साथ होगी । अभ्यर्थियों को इच्छित इकाईयों के लिए अपनी प्राथमिकता देने का अवसर दिया जाएगा । नियुक्ति हेतु चयनित होने पर मेधाक्रम के अनुसार इनके द्वारा दी गई प्राथमिकता पर विचार किया जाएगा ।

6. आवेदन-पत्रों के संग्रहण के उपरांत, समर्पित आवेदन-पत्रों की संवीक्षा की जायेगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र वैध पाये जायेंगे उनके लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा ।

7. लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इण्टरमीडिएट (10+2) अथवा समकक्ष स्तर का होगा एवं प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे । लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी । दो घंटों के एक प्रश्न-पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक दिया जाएगा । उत्तर पुस्तिका दो प्रतियों में होगी जिसमें एक प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में चयन पर्षद के पास सुरक्षित रखा जाएगा ।

8. **लिखित परीक्षा में 30 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएँगे ।**

9. लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञापित रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार 5 गुणा प्रत्येक कोटि के लिए अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु किया जाएगा । शारीरिक जाँच हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में अभ्यर्थियों का अनुपात उपयुक्त रूप से केन्द्रीय चयन पर्षद द्वारा कम किया जा सकेगा ।

10. **लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगी । लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता/जाँच-माप परीक्षा के लिए अर्हक (Qualifying) होगी ।**

11. लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र उम्मीदवारों को निर्धारित अनुपात में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जायेगा । अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना एवं इसमें सफल होना अनिवार्य होगा । शारीरिक दक्षता/योग्यता के न्यूनतम निर्धारित मापदण्ड/मानदण्ड में कोई छूट अनुमान्य नहीं होगी । सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं यथा- दौड़, ऊँची कूद तथा गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर तैयार की जायेगी । तत्पश्चात अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) द्वारा जिला पुलिस/ बिहार

सैन्य पुलिस / विशेषीकृत इण्डिया रिजर्व वाहिनी / बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी के नियुक्ति प्राधिकार “वरीय पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक / समादेष्टा / एवं समकक्ष” को भेजी जायेगी ।

12. सिपाही के पद पर आवेदन हेतु पात्रता :-

12.1 भारतीय नागरिक (Indian) होना अनिवार्य है।

12.2 अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता :- सिपाही के पद के लिए शैक्षणिक अर्हता दिनांक 01/08/2020 तक इण्टरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण-पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री (अंग्रेजी सहित) अथवा आचार्य (अंग्रेजी रहित) प्रमाण-पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हता होगी ।

12.3 अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक-01.08.2020 को “मैट्रिक अथवा समकक्ष” प्रमाण-पत्र के अनुसार निम्नवत् होगी :-

- (1) सामान्य (अनारक्षित) वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए व्यूनतम उम्र 18 (अट्ठारह) वर्ष और अधिकतम उम्र 25 (पच्चीस) वर्ष ।
- (2) पिछ़ड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछ़ड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए व्यूनतम उम्र 18 (अट्ठारह) वर्ष और अधिकतम उम्र 27 (सत्ताईस) वर्ष ।
- (3) पिछ़ड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछ़ड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए व्यूनतम उम्र 18 (अट्ठारह) वर्ष और अधिकतम उम्र 28 (अठाईस) वर्ष ।
- (4) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कोटि के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए व्यूनतम उम्र 18 (अट्ठारह) वर्ष और अधिकतम उम्र 30 (तीस) वर्ष ।
- (5) सभी कोटि/आरक्षण कोटि के (बिहार के प्रशिक्षित एवं बिहार में नामांकित) गृह रक्षकों को निधारित/विहित अधिकतम उम्र सीमा में पाँच (05) वर्षों की छूट दी जाएगी ।
- (6) अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जायेगी ।

12.4 अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदण्ड - ऊँचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक देय नहीं होगा । परंतु विहित अर्हताएँ पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे ।

(क) ऊँचाई -

- (1) अनारक्षित (सामान्य) एवं पिछ़ड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए- व्यूनतम 165 सेन्टीमीटर ।
- (2) अत्यंत पिछ़ड़ा वर्ग के पुरुष के लिए - व्यूनतम 160 सेन्टीमीटर ।
- (3) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के पुरुषों के लिए - व्यूनतम 160 सेन्टीमीटर ।
- (4) भारतीय मूल के गोरखा पुरुषों के लिए सिर्फ बिहार सैन्य पुलिस-01 गोरखा बटालियन में) - व्यूनतम 160 सेन्टीमीटर ।
- (5) सभी वर्गों की महिलाओं के लिए - व्यूनतम 155 सेन्टीमीटर ।

(ख) सीना (सिर्फ पुरुषों के लिए) -

(1) अनारक्षित (सामान्य) / पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए -

बिना फुलाए - 81 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

फुलाकर - 86 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

(फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 5 सेन्टीमीटर का अन्तर होना अनिवार्य होगा) ।

(2) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए -

बिना फुलाए - 81 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

फुलाकर - 86 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

(फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 5 सेन्टीमीटर का अन्तर होना अनिवार्य होगा) ।

(3) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन-जाति के पुरुषों के लिए -

बिना फुलाए - 79 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

फुलाकर - 84 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

(फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 5 सेन्टीमीटर का अन्तर होना अनिवार्य होगा) ।

(4) भारतीय मूल के गोरखा के लिए (सिर्फ बिहार सैन्य पुलिस-01 गोरखा बटालियन में) -

बिना फुलाए - 79 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

फुलाकर - 84 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

(फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 5 सेन्टीमीटर का अन्तर होना अनिवार्य होगा) ।

(5) महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होगी ।

(ग) वजन - सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलो ग्राम होना आवश्यक है ।

13. नियुक्ति की प्रक्रिया-

(क) प्रथम चरण - 'लिखित परीक्षा' - (i) आवेदन-पत्रों के संग्रहण के उपरान्त, आवेदन-पत्रों की संवीक्षा की जायेगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र सही पाये जायेंगे, उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा । लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इण्टरमीडिएट (10+2) अथवा समकक्ष स्तर का होगा एवं प्रश्न वस्तुनिष्ठ (ऑफिशियल) प्रकार के होंगे । लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी ।

(ii) प्रश्न-पत्र - दो घंटों के एक प्रश्न-पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक (01) अंक दिए जाएंगे ।

(iii) ओ०एम०आर (OMR)/उत्तर पुस्तिका :- ओ०एम०आर/उत्तर पुस्तिका दो प्रतियों में होगी जिसमें से एक प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में केब्ड्रीय चयन पर्षद के पास अंतिम चयन सूची प्रकाशित होने के पश्चात एक वर्ष तक सुरक्षित रखी जायेगी । लिखित परिक्षा में अभ्यर्थी ओ०एम०आर (OMR) आधारित उत्तर पुस्तिका पर वांछित सूचनाओं (यथा-रौल नम्बर, प्रश्न पुस्तिका नम्बर, अनुच्छेद लेखन तथा हस्ताक्षर) की प्रविष्टि दिये गये आवश्यक निर्देशों/अनुदेशों के अनुसार करेंगे । उत्तर पुस्तिका (OMR) पर वांछित अनिवार्य जानकारी नहीं भरने अथवा गलत प्रविष्टि करने की स्थिति में अभ्यर्थिता स्वतः रद्द समझी जायेगी एवं उनके उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा इसके लिए पर्षद जिम्मेवार नहीं होगा ।

(iv) **पाठ्यक्रम** - लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम पर्षद की वेबसाइट पर Syllabus शीर्ष के अधीन “Syllabus for Advt. No. 02/2019” टैब के अंतर्गत विज्ञापन संख्या 02/2019 के लिए प्रकाशित है। जिसमें परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं अंकों का वर्गीकरण विस्तृत रूप से दिया गया है, वही पाठ्यक्रम इस परीक्षा में लागू होगा। पाठ्यक्रम वेबसाइट पर देखा एवं Download किया जा सकता है।

(v) लिखित परीक्षा में 30 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जायेंगे।

(vi) ‘लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए अर्हक (Qualifying) होगी।’

(vii) लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञापित रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार पॉच गुणा प्रत्येक कोटि के लिए अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक योग्यता/दक्षता परीक्षा हेतु किया जाएगा। शारीरिक जॉच हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में अभ्यर्थियों का अनुपात उपयुक्त रूप से केब्ड्रीय चयन पर्षद द्वारा कम किया जा सकेगा।

(viii) लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को शारीरिक योग्यता परीक्षा में सम्मिलित होना एवं इसमें सफल होना अनिवार्य होगा तथा शारीरिक योग्यता के व्यूनतम निर्धारित मापदण्ड में कोई छूट अनुमान्य नहीं होगी।

(ख) द्वितीय चरण - ‘शारीरिक योग्यता/दक्षता परीक्षा’ - शारीरिक योग्यता/दक्षता परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी।

(i) **दौड़ - अधिकतम 50 (पचास) अंक।**

सभी कोटि के पुरुषों के लिए - 1 (एक) मील (1.6 कि०मी०) [अधिकतम 6 मिनट में]

5 मिनट से कम	-	50 अंक
--------------	---	--------

5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकण्ड तक	-	40 अंक
-------------------------------	---	--------

5 मिनट 20 सेकण्ड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकण्ड तक	-	30 अंक
--	---	--------

5 मिनट 40 सेकण्ड से अधिक एवं 6 मिनट तक	-	20 अंक
--	---	--------

6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जायेगा।

सभी कोटि की महिलाओं के लिए - 1 (एक) कि०मी० [अधिकतम 5 मिनट में]

4 मिनट से कम	-	50 अंक
--------------	---	--------

4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकण्ड तक	-	40 अंक
-------------------------------	---	--------

4 मिनट 20 सेकण्ड से अधिक एवं 4 मिनट 40 सेकण्ड तक	-	30 अंक
--	---	--------

4 मिनट 40 सेकण्ड से अधिक एवं 5 मिनट तक	-	20 अंक
--	---	--------

5 मिनट से अधिक समय लेने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जायेगा।

(ii) **गोला फेंक - अधिकतम 25 (पच्चीस अंक)।**

सभी कोटि के पुरुषों के लिए - 16 पौंड का गोला व्यूनतम 16 (सोलह) फीट फेंकना होगा।

16 फीट से 17 फीट तक	-	0 9	अंक
17 फीट से ज्यादा एवं 18 फीट तक	-	1 3	अंक
18 फीट से ज्यादा एवं 19 फीट तक	-	1 7	अंक
19 फीट से ज्यादा एवं 20 फीट तक	-	2 1	अंक
20 फीट से ज्यादा	-	2 5	अंक

16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जायेगा।

सभी कोटि की महिलाओं के लिए - 12 पौंड का गोला व्यूनतम 12 (बारह) फीट फेंकना होगा।

12 फीट से 13 फीट तक	-	0 9	अंक
13 फीट से ज्यादा एवं 14 फीट तक	-	1 3	अंक
14 फीट से ज्यादा एवं 15 फीट तक	-	1 7	अंक
15 फीट से ज्यादा एवं 16 फीट तक	-	2 1	अंक
16 फीट से ज्यादा	-	2 5	अंक

12 फीट से कम फेंकने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जायेगा।

(iii) ऊँची कूद - अधिकतम 25 (पच्चीस अंक)।

सभी कोटि के पुरुषों के लिए - व्यूनतम ऊँचाई 4 (चार) फीट

0 4 फीट	-	1 3	अंक
0 4 फीट 4 इन्च	-	1 7	अंक
0 4 फीट 8 इन्च	-	2 1	अंक
0 5 फीट	-	2 5	अंक

0 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जायेगा।

सभी कोटि की महिलाओं के लिए - व्यूनतम ऊँचाई 3 (तीन) फीट

0 3 फीट	-	1 3	अंक
0 3 फीट 4 इन्च	-	1 7	अंक
0 3 फीट 8 इन्च	-	2 1	अंक
0 4 फीट	-	2 5	अंक

0 3 फीट से कम कूदने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जायेगा।

नियत समय (पुरुषों के लिए 6 मिनट एवं महिलाओं के लिए 5 मिनट) में दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को गोला फेंक एवं/अथवा ऊँची कूद स्पर्धा/स्पर्धाओं में व्यूनतम विनिश्चित मानदण्ड पूरा नहीं करने पर असफल घोषित किया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थी को अन्य स्पर्धाओं में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी को सभी स्पर्धाओं में अलग-अलग सफल होना होगा। मात्र गोला फेंक एवं ऊँची कूद में अधिकतम तीन मौका दिया जाएगा।

14. मेधा सूची-

(i) बिहार पुलिस / बिहार सैन्य पुलिस / विशेषीकृत इण्डिया रिजर्व वाहिनी / बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी में सिपाही के पद पर नियुक्त हेतु चयन के लिए मेधा सूची 'संयुक्त रूप से' शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं, यथा- दौड़, ऊँची कूद तथा गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर तैयार की जायेगी। शारीरिक योग्यता/दक्षता

परीक्षा में दो या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में, मेधा सूची में उनके स्थान का अवधारण, उनकी जन्म तिथियों के आधार पर, एवं समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्म तिथि वाले दो या अधिक अभ्यर्थियों की दशा में, उनकी शैक्षणिक अर्हता के आधार पर किया जायेगा । इस प्रकार समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में अधिक उम्र वाले, एवं समान प्राप्तांक एवं समान जन्म तिथि वाले अभ्यर्थियों की दशा में, उच्चतर शैक्षणिक अर्हता वाले अभ्यर्थी का स्थान मेधा सूची में उच्चतर रखा जायेगा ।

(ii) शैक्षणिक योग्यता समान होने की दशा में, पद के लिए अवधारित न्यूनतम अर्हक परीक्षा (इण्टरमीडिएट एवं समकक्ष) में अधिक अंक प्राप्त करने वाले को मेधा क्रम में ऊपर रखा जाएगा ।

(iii) उपर्युक्त प्रावधानों के अधीन विचारण के बाद भी समानता की दशा में, अभ्यर्थियों का स्थान मेधाक्रम में उनके दसरी बोर्ड के प्रमाण-पत्र में यथोल्लिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार अवधारित किया जाएगा ।

(iv) अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की सेवा/पदों का आवंटन उनके द्वारा आवेदन-पत्र में इंगित प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा ।

15. रिक्ति :- बिहार पुलिस / बिहार सैन्य पुलिस / विशेषीकृत इण्डिया रिजर्व वाहिनी / बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी में ‘सिपाही’ के रिक्ति पदों की संख्या 8,415 (आठ हजार चार सौ पन्द्रह) है ।

क्र0सं0	कोटि	सामान्य सिपाही
0 1	सामान्य वर्ग (अनारक्षित)	3 4 8 9
0 2	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	8 4 2
0 3	अनुसूचित जाति	1 3 0 7
0 4	अनुसूचित जनजाति	8 2
0 5	अत्यंत पिछङ्गा वर्ग	1 4 7 0
0 6	पिछङ्गा वर्ग	9 8 0
0 7	पिछड़े वर्गों की महिला	2 4 5
योग-		8,415

❖ बिहार पुलिस में जिला / इकाईवार सिपाही की रिक्तियों की सूची अनुलग्नक ‘क’ के रूप में संलग्न है ।

16. आरक्षण :-

(i) बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 (बिहार अधिनियम 3, 1992) (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार आरक्षण लागू होगा ।

(ii) **गृह रक्षकों के लिए प्रावधान :-**

गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 1444, दिनांक 06.02.2004 एवं गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना के पत्र संख्या 1511, दिनांक 07.02.2004 के अनुसार केवल बिहार के प्रशिक्षित (दिनांक 01.08.2020 के पूर्व/तक) गृह रक्षकों से प्रत्येक आरक्षित/गैर आरक्षित कोटि की 50 प्रतिशत रिक्तियाँ भरी जाएँगी ।

गृह रक्षकों से भरी जानेवाली रिक्तियों के लिए भी बिहार अधिनियम 3, 1992 के प्रावधानों के अनुसार कोटिवार आरक्षण लागू होगा ।

योग्य गृह रक्षक अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में गृह रक्षक कोटे की शेष रिक्ति को उसी कोटि के गैर गृह रक्षक अभ्यर्थियों से भरा जायेगा ।

(iii) **महिलाओं के लिए प्रावधान :-**

बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 (अधिनियम 3, 1992) (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण को अक्षुण्ण रखते हुए शेष आरक्षित एवं गैर आरक्षित वर्गों के 97 प्रतिशत पदों के विरुद्ध 35 प्रतिशत पद, प्रत्येक आरक्षण कोटि में, अलग-अलग महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे । यह आरक्षण क्षैतिज आरक्षण होगा ।

परंतु, यह कि योग्य महिला अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में शेष रिक्ति को उसी कोटि के योग्य पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जाएगा ।

परंतु, यह भी कि बिहार अधिनियम 3, 1992 की धारा 4(3) में निहित प्रावधान के अनुसार महिलाओं के लिए उपर्युक्त 35 प्रतिशत के अतिरिक्त यथास्थिति मेधानुसार भी महिलाओं की नियुक्ति की जा सकेगी ।

(iv) **बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नातीनी के लिए प्रावधान :-**

सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-13185, दिनांक 03.09.2015 के अनुसार बिहार राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्हें केवल सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नातीनी के लिए नियुक्ति में 2 (दो) प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान लागू रहेगा । चयनित उम्मीदवार जिस आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग से संबंधित होंगे, उनकी गिनती उसी आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग में की जायेगी ।

(v) ‘‘बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) आरक्षण अधिनियम, 2019’’ के प्रावधान लागू होंगे ।

(vi) **बिहार राज्य के वामपंथी हिंसा प्रभावित जिलों के अभ्यर्थियों के लिए प्रावधान :-**

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-16011/7/2010-PF IV, दिनांक-16 सितम्बर, 2011 के आलोक में सिर्फ विशेषीकृत इंडिया रिजर्व वाहिनी के कुल रिक्त पदों के 30 प्रतिशत, यानी 62 पदों पर बिहार राज्य के वामपंथी हिंसा प्रभावित जिलों के अभ्यर्थियों से चयन किया जायेगा । पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या पी03/13-01-05/2016/288 दिनांक 22.10.2020 के साथ संलग्न अनुलग्नक के अनुसार वामपंथी हिंसा प्रभावित जिले यथा - नालंदा, रोहतास, कैमूर, गया,

- जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, नवादा, बांका, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, मुजफ्फरपुर, वैशली, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण (पुलिस जिला बगहा सहित) हैं।
- (vii) अन्य राज्यों के आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों की गणना अनारक्षित (सामान्य) कोटि के अभ्यर्थी के रूप में की जायेगी। तदनुसार उनके लिए अनारक्षित (सामान्य) कोटि के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आयु सीमा तथा अन्य अर्हताएँ लागू होंगी। अतएव अन्य राज्यों के आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने आवेदन-पत्र में स्वयं को सामान्य श्रेणी का अभ्यर्थी घोषित करते हुए आवेदन समर्पित करें, अन्यथा स्थिति में उनका आवेदन-पत्र स्वतः निरस्त हो जायेगा।

17. कट ऑफ तिथि :- यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी एवं गृहरक्षक अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता एवं प्रशिक्षण की तिथि के लिए कट-ऑफ तिथि 01 अगस्त, 2020 निर्धारित की जाती है।

18. चिकित्सकीय परीक्षण :- नियुक्ति के पूर्व बिहार पुलिस हस्तक, 1978 प्रपत्र संख्या 103 के अनुसार सभी चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सकीय परीक्षण नियुक्ति प्राधिकार द्वारा कराया जाएगा। ऑक्सी, कलर ब्लाइन्डनेस, श्रवण शक्ति एवं हकलाहट की भी जाँच की जायेगी। नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का चिकित्सकीय परीक्षण में योग्य पाया जाना अनिवार्य होगा। चिकित्सीय परीक्षण में अयोग्य पाए गये अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं की जाएगी।

19. अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन एवं पहचान :- बिहार पुलिस / बिहार सैन्य पुलिस / विशेषीकृत इण्डिया रिजर्व वाहिनी / बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी के नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा नियुक्ति के पूर्व सभी चयनित अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन बिहार पुलिस हस्तक, 1978 प्रपत्र संख्या 101 के अनुसार कराया जाएगा। प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर एवं/अथवा अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यों को छुपाए जाने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किए जाएँगे। किसी अभ्यर्थी के विलङ्घ व्यायालय में आपराधिक मामला लंबित होने अथवा व्यायालय द्वारा दोषसिद्ध घोषित किए जाने पर उसे नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा।

20. लिखित परीक्षा / शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय अभ्यर्थी कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, अनावश्यक रूप से अपने साथ किसी को नहीं लाएँगे, हमेशा मास्क पहने रहेंगे तथा हैण्ड सैनिटाइजर, खाद्य पदार्थ एवं पेय जल साथ लाएँगे, एवं प्रशासन द्वारा इस संबंध में निर्गत सभी अद्यतन निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे।

21. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया :- सिपाही के पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की पद्धति अपनायी गयी है। दिनांक 13/11/2020 से ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया ग्राहक भारत की जायेगी। विहित पद्धति एवं प्रक्रिया के संबंध में वेबसाइट - www.csbc.bih.nic.in पर विस्तार से बताया गया है। सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित मूल्य (परीक्षा शुल्क के रूप में) पर ऑनलाइन आवेदन-पत्र का क्रय करना होगा। आवेदन-पत्र का मूल्य ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से प्राप्त किया जायेगा।

22. अत्यन्त पिछ़ा वर्ग, पिछ़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित (सामान्य) वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र का मूल्य 450/- (चार सौ पचास) रुपये तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र का मूल्य 112/- (एक सौ बारह) रुपये है।

23. उपरोक्त राशि के अतिरिक्त केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) अभ्यर्थियों से कोई राशि नहीं लेगी, किन्तु नेट बैंकिंग (Net Banking) या क्रेडिट/डेबिट कार्ड (Credit/Debit Card) प्रयोग करने पर बैंक चार्ज का वहन अभ्यर्थियों को करना होगा। देश में प्रचलित सभी क्रेडिट/डेबिट कार्ड (Credit/Debit Card) एवं नेट बैंकिंग (Net Banking) के ट्रॉन्जेक्शन (Transaction) अनुमान्य होंगे।

24. ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के लिए आवश्यक निर्देश :-

(i) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के लिए वेबसाइट पर आवश्यक दिशा निर्देश उपलब्ध हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन-पत्र भरने के पूर्व सभी दिशा निर्देशों का अली-आॅति अध्ययन कर लें तथा आवेदन-पत्र भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही-सही अंकित करें। यदि कोई सूचना झूठी या गलत पायी जायेगी तो आवेदन-पत्र को रद्द करने के साथ-साथ आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।

(ii) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के लिए अभ्यर्थी केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) की वेबसाइट www.csbc.bih.nic.in पर जाकर 'Bihar Police के Tab या Advts by Group में जाकर Adv. No. 05/2020 पर लिंक करेंगे। इसी पृष्ठ पर दिये गये आवेदन-पत्र संबंधी लिंक पर लिंक करने के पश्चात आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है।

(iii) पंजीकरण और भुगतान करने से पहले एक वैध एवं सक्रिय मोबाइल नम्बर और ई-मेल आई0डी0 रखें जो यथा सम्भव आपके नाम से पंजीकृत हो, उसका प्रयोग कर अभ्यर्थी अपना पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण करने के लिए मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आई0डी0 अनिवार्य है। यदि आपकी अपनी ई-मेल आई0डी0 (e-mail Id) नहीं है तो अपनी ई-मेल आई0डी0 (e-mail Id) अवश्य बना लें क्योंकि ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के क्रम में एवं चयन प्रक्रिया के दौरान आवश्यकतानुसार महत्वपूर्ण सूचनाएँ आपके ई-मेल आई0डी0 (e-mail Id) एवं आपके मोबाइल फोन पर साझा की जाएँगी।

(iv) भर्ती के अंतिम चरण के पूर्ण होने तक पर्षद अभ्यर्थी से उसी मोबाइल नम्बर / ई-मेल आई0डी0 पर संवाद करेगा, जो पंजीकरण के दौरान दिया गया है। गलत या अमान्य या डिस्कनेक्ट किया गया मोबाइल नम्बर या ई-मेल आई0डी0 के लिए पर्षद जिम्मेवार नहीं होगा।

(v) अभ्यर्थी को आवेदन-पत्र एवं बैंक शुल्क के मूल्य का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। आवेदकों को भुगतान करते समय सावधानी बरतनी चाहिए और एकल आवेदन के लिए कई भुगतानों से बचना चाहिए। किसी भी मामले में सफल भुगतान के बाद आवेदन शुल्क की राशि लौटाई नहीं जायेगी। अगर बिजली या इंटरनेट की विफलता या बैंक लिंक की धीमी गति के कारण राशि की कटौती हो जाती है और पंजीकरण नहीं हो पाता है तो शुल्क/राशि 07 (सात) कार्य दिवस के बाद Payment Gateway द्वारा लौटा दी जाएगी।

(vi) एक मोबाइल नम्बर से मात्र एक ही आवेदन-पत्र भरा जा सकेगा। आवेदन-पत्र भरते समय मोबाइल फोन अभ्यर्थी के पास होना चाहिए क्योंकि उसी मोबाइल नम्बर पर SMS के माध्यम से रजिस्ट्रेशन आई0डी0 एवं पासवर्ड (Password) भेजा जायेगा। यहीं रजिस्ट्रेशन आई0डी0 एवं पासवर्ड (Password) आपके रजिस्टर्ड ई-मेल आई0डी0 पर भी भेजा जायेगा।

(vii) आवेदन-पत्र भरने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लेंगे कि वे विज्ञापन के अनुसार सभी पात्रता पूर्ण करते हैं।

(viii) एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है। किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन-पत्र भरे जाने की स्थिति में उनके सभी आवेदन-पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जायेगा । जो अभ्यर्थी फर्जी नाम एवं पते के आधार पर आवेदन-पत्र भरेंगे उनको अपात्र मानते हुए उनके विलम्ब कठोर कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी ।

(ix) अभ्यर्थी दसरी/समकक्ष की बोर्ड परीक्षा के मूल प्रमाण-पत्र के आधार पर अपनी जन्म तिथि का सही-सही उल्लेख करेंगे । आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी अपना नाम, पिता/पति का नाम, पता आदि सभी सूचनाएँ बिल्कुल सही-सही भरेंगे । प्रमाण-पत्रों से मिलान के समय यदि इनमें कोई भिन्नता पायी जाती है तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी ।

(x) आवेदन-पत्र में यदि आवेदक गलत आरक्षण कोटि प्रविष्ट करते हैं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी । अतः आवेदक पूर्णतः आश्वस्त हो लें कि वे किस वर्ग अथवा कोटि से संबंध रखते हैं ।

(xi) आरक्षित वर्ग के आवेदकों को सूचित किया जाता है कि अपनी कोटि/श्रेणी/जाति/वर्ग के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार की वेबसाइट-state.bihar.gov.in पर समय-समय पर जारी तत्संबंधी अद्यतन अनुदेशों/आदेशों का अवश्य अध्ययन कर लें ।

(xii) ऑनलाइन आवेदन पत्र :-

ऑनलाइन आवेदन पत्र दो भागों में भरा जायेगा - (क) ऑनलाइन आवेदन-पत्र के प्रथम भाग में उम्मीदवार का सर्वप्रथम पंजीकरण किया जाता है। इस क्रम में अभ्यर्थी का नाम, राष्ट्रीयता, मोबाइल नम्बर, ई-मेल आईडी०, बिहार राज्य का अधिवास (डोमेसियल), आरक्षण कोटि, लिंग, जन्म तिथि, पदों की प्राथमिकता एवं गृह रक्षक होने अथवा ना होने संबंधी जानकारी ली जाती है । तत्पश्चात् भुगतान की प्रक्रिया पूरी करनी होगी । सफल पंजीकरण के पश्चात मोबाइल फोन एवं ई-मेल आईडी० के माध्यम से अभ्यर्थी को तत्काल पंजीकरण नम्बर एवं पासवर्ड (Password) SMS/E-mail द्वारा भेजा जाएगा। भुगतान के पूर्व अभ्यर्थी को अपने विवरण 'Edit' (सुधार) करने की सुविधा है ।

पंजीकरण रद्दीकरण - यदि आपने गलत विवरण के साथ पंजीकरण किया है तो भुगतान के बाद आप ऐसे विवरण को एडिट (Edit) नहीं कर सकते हैं । इस स्थिति में आवेदक रद्दीकरण (Cancel Registration Form) प्रावधान का उपयोग कर अपने पंजीकरण को रद्द कर सकते हैं । किन्तु पहले भुगतान किया गया आवेदन शुल्क लौटाया नहीं जाएगा और नये पंजीकरण के लिए पुनः आवेदन शुल्क देना होगा ।

(अ) सफलतापूर्वक पंजीकरण करने के पश्चात उपलब्ध कराये गये पंजीकरण नम्बर एवं पासवर्ड से लॉगइन (Login) करने के बाद ऑनलाइन आवेदन-पत्र के द्वितीय भाग में उम्मीदवार को वांछित सूचनाएँ यथा- पिता/पति का नाम, माता का नाम, पता एवं शैक्षणिक योग्यता आदि की सही

जानकारी देते हुए घोषणा पर सहमति देनी होगी । इसके बाद (i) आवेदक का फोटोग्राफ, रंगीन एवं दो माह के अंदर खींचा हुआ, जिसका बैक ग्राउन्ड सफेद हो, 15 से 25 के0बी0 के बीच का, .jpg/.jpeg/.gif फॉरमेट में, एवं (ii) हस्ताक्षर अंग्रेजी एवं हिन्दी में (काली एवं नीली रुग्धी से) अलग-अलग, 15 से 25 के0बी0 के बीच का, .jpg/.jpeg/.gif फॉरमेट में, जो सफेद बैक ग्राउन्ड पर हो, ऐसे फोटो एवं हस्ताक्षरों को स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य है।

(ग) फोटो एवं हस्ताक्षर के संबंध में दिये गये निर्देश का पालन न करने की स्थिति में आवेदक का ऑनलाइन आवेदन-पत्र रद्द/निरस्त कर दिया जायेगा। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड हो जाने के पश्चात पूर्णरूपेण भरे हुए ऑनलाइन आवेदन-पत्र को अंतिम रूप से समर्पित (Submit) करने से पहले आवेदक “Edit Details” के बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं । एक बार पुष्टि (Confirm) और समर्पित (Submit) करने के बाद आवेदन के विवरण को एडिट नहीं कर सकते हैं । आवेदन-पत्र सबमिट करने के उपरांत आवेदक को उनके पंजीकृत मोबाइल नम्बर/ई-मेल आई0डी0 पर एक पुष्टिकरण संदेश (SMS/E-mail) प्राप्त होगा तभी आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी । अंतिम रूप से सबमिट/समर्पित किए गये आवेदन-पत्र के विवरण को सही मानते हुए पर्षद आवेदन-पत्र में किसी प्रकार के बदलाव की अनुमति नहीं देगा । अभ्यर्थी अब अपने भरे हुए आवेदन-पत्र की पावती (Acknowledgement) A4 साईज के पेपर पर प्रिंट (Print) कर उसे भली-भाँति जाँच लेंगे तथा भविष्य में किसी भी तरह के पत्राचार अथवा मांगे जाने पर उपस्थिप्त करेंगे ।

(घ) गलत/त्रुटिपूर्ण आवेदन-पत्र को रद्द कर नया आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया :-

यदि आवेदक को लगता है कि उसका आवेदन-पत्र गलत/त्रुटिपूर्ण विवरण के साथ अंतिम रूप से समर्पित (Submit) हो गया है और उसमें सुधार की आवश्यकता है तो आवेदक रद्दीकरण (Cancel) प्रावधान का उपयोग कर आवेदन रद्द कर सकता है । परन्तु पूर्व में भुगतान किया गया आवेदन शुल्क लौटाया नहीं जाएगा और नये आवेदन के लिए पुनः आवेदन शुल्क देना होगा ।

25. महत्वपूर्ण निर्देश :-

(i) भरे गये ऑनलाइन आवेदन-पत्र को केव्हीय चयन पर्षद को भेजने की आवश्यकता नहीं है । परन्तु भविष्य में पत्राचार/जानकारी प्राप्त करने के लिए Registration Number आवश्यक है । अतः पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन-पत्र की पावती (फोटो सहित) की प्रति अभ्यर्थी अपने पास अवश्य सुरक्षित रखें । केव्हीय चयन पर्षद से पत्राचार करते समय आवेदन-पत्र की पावती (Acknowledgement) की छाया प्रति निश्चित रूप से संलग्न करें ।

26. ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि :-

ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि 14/12/2020 निर्धारित है । इसमें कोई विस्तार नहीं किया जायेगा । डाक या अन्य माध्यमों से भेजे गये आवेदन में सुधार के अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा ।

27. उम्मीदवारी रद्दीकरण - आवेदक की उम्मीदवारी किसी भी समय निम्नलिखित आधार पर बिना कारण बताये रद्द की जा सकती है :

- (i) आवेदन पत्र का प्रथम भाग (पंजीकरण) भरा जाना, परन्तु द्वितीय भाग को भर कर Submit न करना ।
- (ii) आवेदक द्वारा फोटो अथवा हस्ताक्षर upload न किया जाना या किसी अन्य व्यक्ति, अन्य फोटो एवं हस्ताक्षर का upload किया जाना ।

- (iii) आवेदन मूल्य का ऑनलाइन भुगतान न किया जाना ।
- (iv) आवेदन में गलत सूचना दिया जाना ।
- (v) गलत आरक्षण कोटि का भरा जाना अथवा अनारक्षित कोटि से संबंध रखने वाले आवेदक द्वारा किसी आरक्षण कोटि का दावा किया जाना ।
- (vi) आवेदन में दी गई सूचनाओं का दस्तावेज सत्यापन में गलत पाया जाना ।
- (vii) आवेदन में जन्म तिथि गलत अंकित करना ।
- (viii) आवेदन में गलत लिंग (Gender) अंकित करना ।
- (ix) आवेदक का उम्मीदवारी की पात्रता पूर्ण न करना, जैसे - विनिर्दिष्ट तिथि को निर्धारित उम्र सीमा से बाहर का होना, कट-ऑफ तिथि तक शैक्षणिक योग्यता धारण न करना, तथा भारत का नागरिक न होना आदि ।
- (x) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र का प्रस्तुत न किया जाना ।
- (xi) प्रमाण-पत्र का सही रूपरूप में प्रस्तुत / समर्पित न करना, जैसे -
 - (क) आरक्षित कोटि की विवाहित महिला अभ्यर्थी द्वारा पिता के नाम से जाति प्रमाण-पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण-पत्र एवं क्रीमीलेयर से संबंध न रखने का प्रमाण-पत्र (जहाँ लागू हो), समर्पित करने के स्थान पर पति के नाम से प्रमाण-पत्र समर्पित करना उनकी उम्मीदवारी को रद्द कर सकता है, क्योंकि जाति जन्म से निर्धारित होती है, न कि विवाह से ।
 - (ख) आवेदक द्वारा आवेदन में रखयं को आरक्षण कोटि का होने का दावा करना परन्तु दस्तावेज जाँच में उन्हें दूसरी आरक्षण कोटि अथवा सामान्य कोटि का पाया जाना, आदि ।
- (xii) आवेदक का किसी आपराधिक काण्ड/गतिविधि में सम्मिलित पाया जाना ।
- (xiii) आवेदक द्वारा लिखित परीक्षा अथवा शारीरिक दक्षता परीक्षा के क्रम में घोखाधड़ी करना अथवा प्रयास करना । इसमें परलूपधारण, कदाचार आदि कृत्य शामिल हैं ।
- (xiv) आवेदक द्वारा परीक्षा कार्य में संलग्न कर्मियों को किसी भी प्रकार का प्रलोभन देना अथवा देने का प्रयास करना ।
- (xv) अन्य कोई परिस्थिति जो विज्ञापन की शर्तों के विरुद्ध हो अथवा सामान्य रूप से भी प्रतियोगिता परीक्षा के कदाचार मुक्त संचालन के विरुद्ध पाई जाए ।

28. आवेदन-पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि के उपरान्त वैध आवेदन वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन से संबंधित अग्रतर कार्रवाई के लिए प्रवेश-पत्र ऑनलाइन निर्गत किया जायेगा । इस सम्बन्ध में सूचना समाचार-पत्रों के माध्यम से एवं पर्षद की वेबसाइट पर यथासमय दी जायेगी । कई आवश्यक सूचनाएँ आपको SMS/E-Mail के माध्यम से दी जा सकती हैं । अतः अपना पंजीकृत मोबाइल फोन/ई-मेल आई0डी0 सक्रिय/जारी रखें ।

29. ऐसी विवाहित महिलाएँ जो दौड़ एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय चिकित्सीय परीक्षण में गर्भवती पायी जायेंगी उन्हें चिकित्सीय प्रतिवेदन के आधार पर दौड़ एवं शारीरिक दक्षता जाँच में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी तथा इस आधार पर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा ।

30. चयन प्रक्रिया पूर्ण होने में सामान्यतः एक वर्ष का समय लग सकता है, अतः अभ्यर्थियों को सुझाव दिया जाता है कि वे तदनुसार लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं अभिलेख संवीक्षा

आदि के लिए अपनी उपलब्धता सुनिश्चित रखेंगे । किसी भी प्रक्रिया में समय विस्तार का अनुरोध किसी भी परिस्थिति (यथा- पारिवारिक, निजी, चिकित्सीय, अस्थि भंग, गर्भावस्था आदि) में मान्य नहीं होगा ।

₹0/-

अध्यक्ष,

केब्ड्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती),

बिहार, पटना

ज्ञापांक 54/के०च०प०(सू०)

दिनांक 11/11/2020

अध्यक्ष, केब्ड्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) का कार्यालय,

सरदार पटेल भवन, छठा तल, ब्लॉक-ए/626,

जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना- 800023

अनुलेखक 'क'

क्रम सं०	जिला / इकाई / वाहिनी का नाम	रिवित	क्रम सं०	जिला / इकाई / वाहिनी का नाम	रिवित
1.	पट्टना	600	35.	बैगूसराय	130
2.	नलंदा	240	36.	शेखपुरा	20
3.	भोजपुर	260	37.	लखीसराय	150
4.	रोहतास	90	38.	जमुई	300
5.	कैमूर	80	39.	रेल पट्टना	100
6.	गया	200	40.	रेल मुजफ्फरपुर	40
7.	औरंगाबाद	100	41.	रेल कट्टिहार	100
8.	नवादा	250	42.	सैन्य पुलिस मुख्यालय, बिहार	06
9.	जहानाबाद	80	43.	सैन्य पुलिस (केन्द्रीय मण्डल)	07
10.	अरवल	06	44.	सैन्य पुलिस (उत्तरी मण्डल)	05
11.	मुजफ्फरपुर	400	45.	बिहार सैन्य पुलिस 01, पट्टना	248
12.	वैशाली	150	46.	अश्वारोही सैन्य पुलिस, आरा	52
13.	शिवहर	20	47.	बिरामी असुरोबा, पट्टना	1206
14.	सीतामढ़ी	190	48.	एस0आई0आर0बी0, बोधगया	208
15.	बेतिया	80	49.	केन्द्रीय क्षेत्र, पट्टना	06
16.	मेतिहारी	80	50.	मगध क्षेत्र, गया	05
17.	सारण	160	51.	तिरहुत क्षेत्र, मुजफ्फरपुर	07
18.	सिवान	100	52.	मिथिला क्षेत्र, दरभंगा	09
19.	गोपालगंज	100	53.	पूर्णियाँ क्षेत्र, पूर्णियाँ	05
20.	दरभंगा	170	54.	शाहाबाद क्षेत्र, डिहरी	02
21.	मधुबनी	40	55.	कोशी क्षेत्र, सहरसा	15
22.	समस्तीपुर	140	56.	चम्पारण क्षेत्र, बेतिया	12
23.	सहरसा	40	57.	पूर्वी क्षेत्र, भागलपुर	14
24.	सुपौल	70	58.	बैगूसराय क्षेत्र, बैगूसराय	06
25.	मधेपुरा	70	59.	मुंगेर क्षेत्र, मुंगेर	08
26.	पूर्णियाँ	230	60.	बिहार पुलिस मुख्यालय, पट्टना	90
27.	किशनगंज	20	61.	पुलिस परिवहन मुख्यालय, पट्टना	16
28.	कट्टिहार	90	62.	वितंतु मुख्यालय, पट्टना	20
29.	अररिया	20	63.	प्रशिक्षण मुख्यालय, बिहार, पट्टना	44
30.	भागलपुर	90	64.	विशेष शाखा, बिहार, पट्टना	468
31.	बांका	250	65.	अप0अनु0 विभाग, बिहार, पट्टना	40
32.	नवगांठिया	70	66.	आर्थिक अपराध इकाई, पट्टना	216
33.	खगड़िया	130	67.	राज्य अप0 अभिर्वद्धो, पट्टना	44
34.	मुंगेर	200		कुल -	8415